संख्या-1/2016/बी-3-1443/दस-2016-20(14)/15 अनु0नि0

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश
एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2016

विषय:- सेवाकाल के दौरान मृत राजकीय कर्मचारियों के आश्रितों को उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-बी-3-3065/दस-2000-4(1)/86 अनु0नि0, दिनांक 30-08-2000 द्वारा उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली की प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को प्रेषित की गयी थी। शासनादेश संख्या-बी-3790/दस-2001-4(1)86-अनु0नि0, दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 द्वारा किसी एक व्यक्ति के मामले में आनुतोषिक की न्यूनतम राशि रूपये 20,000 से बढ़ाकर रूपये 25,000 तथा अधिकतम धनराशि रूपये 75,000 से बढाकर रूपये 1,00,000 की गयी। शासनादेश संख्या-बी-3-1648/दस-2011-20(14)11-अनु0नि0, दिनांक 26 जुलाई, 2011 द्वारा निधि से वार्षिक अनुदान की अधिकतम धनराशि रूपये 80 लाख से बढ़ाकर रूपये 01 करोड़ की गयी।

2- उक्त नियमावली में लाभार्थियों को देय आनुतोषिक का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था थी। शासन के संज्ञान में ऐसे कई प्रकरण आये, जिनमें बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक बनने में विभिन्न स्तरों पर विलम्ब हुआ तथा उनमें नाम, धनराशि आदि की त्रुटि के साथ-साथ बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक या तो डाक की देरी के कारण लाभार्थियों को विलम्ब से प्राप्त होने अथवा खो जाने की शिकायतें भी प्राप्त हुयीं। इन समस्याओं के निराकरण हेतु सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उ0प्र0 अनुकम्पा निधि से अनुमन्य आनुतोषिक का भुगतान लाभार्थियों को ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाये।

3- शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर, 2001 एवं शासनादेश दिनांक 26 जुलाई, 2011 द्वारा किये गये संशोधनों एवं "ई-पेमेण्ट" के माध्यम से भुगतान हेतु नियमावली के प्रस्तर-8 में आवश्यक निर्देशों का समावेश करते हुए नियमावली संशोधित कर दी गयी है जो इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

4- अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को अग्रसारित करते समय यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवेदन पत्र के भाग-1 के क्रमांक-12 पर लाभार्थियों के बैंक खाते से संबंधित सूचना अंकित है तथा बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न है एवं कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा उक्त विवरण को सावधानीपूर्वक व्यक्तिगत रूप से जांच लिया गया है। लाभार्थी के बैंक खाते से संबंधित सूचना त्रुटिपूर्ण होने की दशा में यदि भुगतान किसी अपात्र व्यक्ति को हो जाता है तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष इसके लिए उत्तरदायी होंगे और उनसे धनराशि की वसूली कर पात्र लाभार्थी/लाभार्थियों को भुगतान कराया जायेगा।

भवदीय,

मुकेश मित्तल,
सचिव।

संख्या-1/2016/बी-3-1443(1)/दस-2016-20(14)/15 अनु0निधि0, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (लेखा/आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3- विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय।

4- राज्यपाल सचिवालय।

5- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
आलोक दीक्षित,
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि नियमावली

1- अनुकम्पा निधि का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के राजस्व से वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों के उन परिवारों की सहायता करना है जो ऐसे व्यक्ति, जिस पर वे पालन पोषण के लिए निर्भर थे, की असामयिक मृत्यु के कारण निर्धनावस्था में पड गये हैं। उददेश्य

टिप्पणी:- इस नियम के प्रयोजनार्थ शब्द "परिवार" में मृत सरकारी कर्मचारी के निम्नलिखित सम्बन्धियों में से केवल वे ही सम्मिलित माने जायेंगे जो मृत्यु के समय उस पर पूर्णतया आश्रित थे - पत्नी, पति, वैध संतान, सौतेली संतान, पिता और माता। संतान की अधिकतम संख्या दो तक सीमित रहेगी। अविवाहित पुत्री तथा बेरोजगार पुत्र की दशा में अधिकतम आयु सीमा पारिवारिक पेंशन हेतु अर्हता के अनुरूप 25 वर्ष रहेगी। पत्नी को छोडकर पति अथवा संतान के सेवायोजन की स्थिति में वे (पति/संतान) आश्रित नहीं माने जायेंगे। अतः उनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 25 वर्ष से अधिक आयु के संतान भी मृतक आश्रित नहीं माने जायेंगे।

2- निधि की वार्षिक अनुदान की अधिकतम धनराशि 100 लाख रूपये होगी। इस निमित्त प्रत्येक वर्ष के आय-व्ययक में आवश्यकतानुसार प्राविधान उपुर्यक्त अधिकतम सीमा तक कराया जा सकेगा। निधि की वार्षिक धनराशि

3- सरकार ने इस निधि के प्रशासन एवं सरकार को परामर्श देने के लिए "उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि समिति" नामक एक समिति नियुक्त की है। प्रमुख सचिव, वित्त अथवा वित्त सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे तथा चार सदस्य और होंगे जिनमें सरकार के गृह, आवास, नगर विकास और राजस्व विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित विशेष सचिव होंगे। वित्त विभाग का कोई उप सचिव या उससे उच्च स्तर का अधिकारी समिति का पदेन सचिव होगा। निधि का प्रशासन

4- जब तक अन्यथा कार्यवाही को न्यायोचित ठहराने वाली आपवादिक परिस्थितियां न हों तब तक समिति ऐसे मामलों में निधि से अनुदान देने की सिफारिश साधारणतया स्वीकार नहीं करेगी जिनमें :- निधि से आनुतोषिक हेतु पात्रता

(1) मृत कर्मचारी ने एक वर्ष से कम सरकारी सेवा की हो, और

(2) आनुतोषिक हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र कर्मचारी की मृत्यु के 5 वर्ष पश्चात दिया गया हो।

5- मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा एक प्रार्थना-पत्र निर्धारित प्रपत्र में उन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जिसके अधीन मृत कर्मचारी अन्तिम समय कार्यरत रहा हो। परिवार द्वारा प्रार्थना-पत्र के प्रथम भाग में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्रार्थना-पत्र के भाग-2 में अपेक्षित सूचना सावधानीपूर्वक भरकर प्रार्थना-पत्र को शासन के संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्रेषित करेंगे। नियमावली के प्राविधानों के अनुसार प्रस्ताव का परीक्षण करके प्रशासनिक विभाग सभी संबंधित अभिलेख तथा प्रार्थना-पत्र के भाग-3 में अपनी संस्तुति सहित संक्षिप्त टिप्पणी, जिसमें मामले के पूरे तथ्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो, वित्त विभाग को सात प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे। वित्त विभाग टिप्पणी को समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। आनुतोषिक स्वीकृति की प्रक्रिया

समिति की बैठक

6- (1) समिति की बैठक प्रत्येक वर्ष आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है और आवश्यकता पडने पर किसी एक वर्ष में कई बैठकें बुलाई जा सकती है।

(2) समिति नियम-7 में उल्लिखित न्यूनतम और अधिकतम सीमाओं के अधीन रहते हुए निधि से आनुतोषिक प्रदान किये जाने के संबंध प्रत्येक मामले में विचार करके अपनी संस्तुति सरकार को प्रस्तुत करेगी।

आनुतोषिक की धनराशि

7- किसी एक व्यक्ति के मामले में देय आनुतोषिक की न्यूनतम राशि 25,000 रूपये तथा अधिकतम 1,00,000 रूपये होगी। ठीक-ठीक राशि सभी मामलों में परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार निश्चित की जायेगी। साधारणतया दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पूर्व के प्रकरण में दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमान (पुराना वेतनमान) के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक के मृत्यु के समय के मूलवेतन (महंगाई वेतन को छोडकर) के दो गुने के बराबर, दो आश्रित होने पर उक्त मूलवेतन के चार गुने के बराबर और इसी प्रकार अधिकतम 05 आश्रित होने पर उक्त मूलवेतन के 10 गुने के बराबर धनराशि तथा दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद के प्रकरण में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर मृतक के एक आश्रित होने पर मृतक की मृत्यु के समय वेतन बैण्ड में वेतन के दो गुने के बराबर, दो आश्रित होने पर वेतन बैण्ड में वेतन के चार गुने के बराबर और अधिकतम पांच आश्रित होने पर वेतन बैण्ड के वेतन के दस गुने के बराबर धनराशि निर्धारित करते हुए उपर्युक्त निहित न्यूनतम और अधिकतम सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत की जायेगी। वेतन बैण्ड में वेतन का आशय मूलवेतन में से ग्रेड वेतन को घटाकर होगा। यदि किसी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी अन्य फण्ड से कोई आर्थिक सहायता अनुकम्पा के रूप में दी गयी हो तो निधि से नियमानुसार अनुमन्य सहायता की राशि में से उतनी धनराशि कम करके अन्तर की धनराशि के समतुल्य राशि की सहायता स्वीकृत की जायेगी। जिन प्रकरणों में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि किसी अन्य फण्ड से स्वीकृत की गयी है तो उनमें सामान्यतया निधि से सहायता स्वीकृत नहीं की जायेगी।

समिति की संस्तुतियों पर अग्रतर कार्यवाही

8- सरकार का वित्त विभाग समिति की संस्तुतियों पर विचार करेगा और वित्त मंत्री के अनुमोदन से आवश्यक निर्णय लेकर आदेश जारी करेगा। आदेशों की प्रति संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष तथा महालेखाकार को भी यथारीति भेजी जायेगी। प्रत्येक मामले में स्वीकृत धनराशि का भुगतान लाभार्थी को उसके बैंक खाते में वित्त विभाग द्वारा सीधे ई-पेमेण्ट के माध्यम से कराया जायेगा। ई-पेमेण्ट हेतु बैंक तथा शाखा का नाम, खाता संख्या एवं IFSC Code की सूचना लाभार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के भाग-1 में यथास्थान उपलब्ध करायी जायेगी तथा इनका सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र, प्रार्थना-पत्र के भाग-2 के क्रमांक-15 पर दिया जायेगा।

आगणन की कार्यवाही

9- अनुकम्पा निधि से देय धनराशि का आगणन विभागाध्यक्ष स्तर पर वित्त नियंत्रक द्वारा तथा शासन स्तर पर प्रशासकीय विभाग के आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए प्रशासकीय विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

10- निधि से स्वीकृत किये जाने वाली आनुतोषिक की विनियात्मक शर्ते निम्नलिखित हैं:- साधारण शर्ते

(1) अन्य बातों के रहते हुये ऐसे मामलों में वरीयता दी जानी चाहिए जिनमें मृत कर्मचारी कम वेतन पाते रहे हों।

(2) ऐसे सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिनकी मृत्यु कर्तव्य पालन करते हुए होती है और जिन्हें अलग से आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान दूसरे विभागीय नियमों/आदेशों में है, के मामलों में इस निधि से साधारणतया सहायता नहीं दी जायेगी।

(3) निधि से दिये जाने वाले अनुदान आपवादिक प्रकार के मामले तक सीमित रहते हैं।

(4) ऐसी मृत्यु जो कर्तव्य के प्रति विशेष निष्ठावान रहने के कारण हुई हो, अनुदान दिये जाने के प्रश्न पर विचार किये जाने की मांग बलवती हो जाती है।

(5) साधारण मामलों में उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवार को वरीयता दी जानी चाहिए जो अनेक वर्षो तक सेवा कर चुके हैं किन्तु अपनी पेंशन प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

(6) साधारणतया ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामलों पर, जिनकी सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होती है, निधि से सहायता देने पर विचार नहीं किया जायेगा, किन्तु ऐसे आपवादिक मामलों में अनुदान दिये जा सकते हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति होने के छः माह के भीतर मृत्यु हो जाये और वह अपने परिवार के लिए व्यवस्था न कर सका हो परन्तु अनुदान अत्यन्त आपवादिक परिस्थितियों में ही दिये जायेंगे। उदाहरणार्थ, ऐसी परिस्थितियों में जिनमें सरकारी कर्मचारी को रोगवश सेवा से अयोग्य करार दे दिया गया हो और उसके बाद ही उसकी मृत्यु हो गयी हो और अपनी बीमारी के कारण अपने परिवार के लिए कोई व्यवस्था न कर सका हो तथा परिवार को निराश्रित छोड़ गया हो।

(7) इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए कि उन कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवारों को बहुत अधिक अनुदान न दिये जायें जो सरकार के मुख्यालय में काम करते रहे हों।

(8) निधि से कोई पेंशन न दी जाय।

(9) निधि से प्रत्येक मामले में एक से अधिक आनुतोषिक न दिया जाय।

(10) पुत्रियों के विवाह के लिए निधि से किसी प्रकार का दहेज नहीं दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से अनुदान हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

भाग-1

आवेदक द्वारा भरा जायेगा

1- मृत राज्य कर्मचारी का नाम तथा पदनाम -

2- कार्यालय का पता जहां मृत्यु के समय वह कार्यरत थे -

3- मृत्यु का कारण -

4- मृत्यु की तारीख -

(आवेदक के संबंध में विवरण)

5- आवेदक का पूरा नाम तथा मृतक से संबंध -

6- निवास स्थान का पूरा पता -

(क) स्थायी

(ख) पत्र व्यवहार का पता

7- आवेदक के पहचान के चिन्ह -

8- आवेदक का वर्तमान धन्धा एवं मासिक आय तथा परिवार की आर्थिक स्थिति -

9- मृतक द्वारा छोड़ी गई चल/अचल सम्पत्ति तथा उससे सम्भावित वार्षिक आय -

10- मृतक ने यदि कोई व्यक्तिगत बीमा कराया था तो उसकी धनराशि तथा प्राप्ति की तिथि/स्थिति -

11- उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से प्रार्थित अनुदान की राशि-

12- भुगतान का स्थान -

(क) लाभार्थी का नाम -

(ख) बैंक तथा शाखा का नाम -

(ग) खाता संख्या -

(घ) IFSC Code -

नोट :- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय।

13- मृत कर्मचारी के आश्रितों की संख्या तथा विवरण :-

क्र0सं0	नाम	आयु	मृत कर्मचारी से संबंध
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

14- यदि पुत्र एवं पुत्रियां अध्ययनरत हों तो उनके विवरण :-

क्र0सं0	नाम	कक्षा	विद्यालय का नाम जहां अध्ययनरत हों
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

दिनांक 20 ई0

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मै -------------------- पत्नी/पति/माता/पिता/पुत्र/पुत्री/स्व0श्री/श्रीमती----------------- --------------- यह प्रमाणित करता/करती हूं कि जो विवरण ऊपर दिये गये हैं मेरी जानकारी में वे सही हैं। यदि प्रार्थना-पत्र में दिये गये तथ्यों में कोई तथ्य गलत पाया जाय तो उत्तर प्रदेश अनुकम्पा निधि से आर्थिक सहायता स्वीकार होने की दशा में उसकी पूर्ण धनराशि एक मुश्त मुझसे मेरी स्थाई अथवा अस्थाई सम्पति से वसूल की जा सकती है।

दिनांक 20 ई0

आवेदक के हस्ताक्षर